



भारत सरकार

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय, दिल्ली

केंद्रीय राजस्व भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली - 110002

फा.सं. P-342/Pr.CCIT/खेल कोटा भर्ती/2026-27/10703 दिनांक: 01.10.2026

विषय: कर सहायक, आशुलिपिक ग्रेड-II तथा मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती - भर्ती वर्ष 2026 के संबंध में।

आयकर विभाग, दिल्ली क्षेत्र में खेल कोटे के अंतर्गत कर सहायक (वेतन स्तर-4), आशुलिपिक ग्रेड-II (वेतन स्तर-4) तथा मल्टी-टास्किंग स्टाफ (वेतन स्तर-1) के पदों को भरने हेतु पात्र उत्कृष्ट खिलाड़ियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

2. इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी निर्धारित समय-सीमा के भीतर आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxdelhi.gov.in पर उपलब्ध 'Sports Recruitment' टैब पर क्लिक कर केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं:

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	17.10.2026
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	10.11.2026, 23:59 Hrs. तक

3. एजेंट/ठगों से सावधान रहें

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति आयकर विभाग, दिल्ली के अधिकारियों से परिचय का दावा करके अभ्यर्थियों की भर्ती कराने का आश्वासन देता है और इस आधार पर धनराशि मांगता या वसूलता है, तो ऐसे दावे झूठे हैं। भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार का प्रभाव अथवा सुविधा दिलाना संभव नहीं है। आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxdelhi.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को ऐसे एजेंट अथवा अनधिकृत व्यक्तियों के बहकावे में न आने तथा ऐसे किसी आश्वासन पर कार्रवाई करने से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। सभी आवेदकों को कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में आचरण करने और भर्ती प्रक्रिया में किसी भी अनुचित साधन का प्रयोग न करने की सलाह दी जाती है।

(हृदय एन. राय)

आयकर उपायुक्त (मुख्यालय-कार्मिक) (अराजपत्रित),
नई दिल्ली

अनुलग्नक-I

आयकर विभाग, दिल्ली क्षेत्र, दिल्ली में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती

आयकर विभाग, दिल्ली क्षेत्र, दिल्ली नीचे सूचीबद्ध विभिन्न खेलों/विधाओं में पात्र खिलाड़ियों की निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित करता है:

क्रम सं.	पद	वेतन बैंड (पूर्व-संशोधित)	ग्रेड वेतन (पूर्व-संशोधित)	7वें वेतन के अनुसार संबंधित वेतन स्तर	रिक्तियों की संख्या
1	कर सहायक	5200-20200	2400	Pay Level-4	44
2	आशुलिपिक ग्रेड-II	5200-20200	2400	Pay Level-4	09
3	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	5200-20200	1800	Pay Level-1	66

खेल-वार रिक्तियों का विभाजन पैरा 04 में दिया गया है

- ये पद अस्थायी प्रकृति के हैं, परंतु इनके स्थायी होने की संभावना है। विभाग के वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार परिवीक्षा अवधि दो वर्ष होगी।
- रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और इसमें परिवर्तन हो सकता है। अभ्यर्थी एक या अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे अधिसूचना में संबंधित पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता मानदंड पूरे करते हों।

पात्रता की शर्तें

01. आयु सीमा (31.08.2026 को)

क्रम सं.	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
1	कर सहायक	18 वर्ष	27 वर्ष
2	आशुलिपिक ग्रेड-II	18 वर्ष	27 वर्ष
3	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	18 वर्ष	25 वर्ष

आयु में छूट: उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक) की छूट दी जा सकती है।

टिप्पणी: यह छूट केवल उन्हीं खिलाड़ियों को दी जाएगी जो संबंधित पद के लिए शिक्षा तथा खेल संबंधी सभी अन्य पात्रता शर्तें पूरी करते हों और इस अधिसूचना में निर्धारित प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

टिप्पणी: आयु और शिक्षा पात्रता मानदंडों की निर्णायक तिथि 31.08.2026 है।



02. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता

अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए:

I. कर सहायक के लिए:

- (i) 31.08.2026 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता।
- (ii) नियुक्ति के बाद अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश में निर्धारित समय-सीमा के भीतर कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसमें प्रति घंटे 8,000 कुंजी दबाने की डेटा एंट्री गति अपेक्षित होगी।

II. आशुलिपिक ग्रेड-II के लिए:

- (i) 31.08.2026 तक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण या समकक्ष।
- (ii) नियुक्ति के बाद अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश में निर्धारित समय-सीमा के भीतर आशुलिपि कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसमें 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट का श्रुतलेख तथा कंप्यूटर पर प्रतिलेखन परीक्षा (अंग्रेजी में 50 मिनट अथवा हिंदी में 65 मिनट) शामिल होगी।

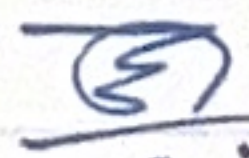
III. मल्टी-टास्किंग स्टाफ के लिए:

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण या समकक्ष।

03. खेल संबंधी पात्रता:

खिलाड़ियों की नियुक्ति उनकी खेल उपलब्धियों, प्रदर्शन की निरंतरता, आयु और शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखकर की जाएगी। खेल उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिए अभ्यर्थियों की निम्नलिखित श्रेणियों की खेल प्रतियोगिताओं में दिनांक 01.01.2020 से 15.10.2026 तक की गयी भागीदारी और प्रदर्शन के आधार पर नीचे दिए गए वरीयता क्रम में विचार किया जाएगा:

- i. वे अभ्यर्थी जिन्होंने इस अधिसूचना के पैरा 04 में उल्लिखित खेलों में से किसी में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग की अनुमति से अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो।
- ii. वे अभ्यर्थी जिन्होंने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा आयोजित वरिष्ठ या कनिष्ठ स्तर की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में भाग लेकर पैरा 04 में उल्लिखित किसी खेल में पदक या तीसरे स्थान तक का स्थान प्राप्त किया हो। वरिष्ठ और कनिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियनशिप/खेलों में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों में वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेकर पदक जीतने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।
- iii. वे अभ्यर्थी जिन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय संघ/अंतर-विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में किसी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग के प्राधिकरण से



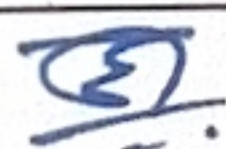
आयोजित खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में भाग लेकर पैरा 04 में उल्लिखित किसी खेल के फाइनल में पदक या तीसरे स्थान तक का स्थान प्राप्त किया हो।

- iv. वे अभ्यर्थी जिन्होंने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग के प्राधिकरण से आयोजित खेलो इंडिया युवा खेलों (18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग), खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों अथवा खेलो इंडिया पैरा खेलों में किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया हो और पैरा 04 में उल्लिखित किसी खेल के फाइनल में पदक या तीसरे स्थान तक का स्थान प्राप्त किया हो।
- v. वे अभ्यर्थी जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यालय खेल महासंघ द्वारा आयोजित विद्यालयों की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में राज्य विद्यालयों का प्रतिनिधित्व किया हो तथा पैरा 04 में उल्लिखित किसी खेल में पदक या तीसरे स्थान तक का स्थान प्राप्त किया हो।
- vi. वे अभ्यर्थी जिन्होंने श्रेणी (ii) से (v) में उल्लिखित स्तर पर किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय/राज्य विद्यालय दल का प्रतिनिधित्व किया हो, लेकिन पदक या कोई स्थान प्राप्त न किया हो।

किसी टूर्नामेंट की स्थिति के संबंध में संदेह होने पर मामला कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के परामर्श से तय किया जाएगा।

04. जिन खेलों/विधाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, उनमें रिक्तियाँ:

क्रम सं.	खेल/विधा	रिक्तियाँ		
		पुरुष	महिला	कुल
1	तीरंदाजी	1	1	2
2	एथलेटिक्स	8	7	15
3	बैडमिंटन	2	3	5
4	बास्केटबॉल	1	4	5
5	बिलियर्ड्स एवं स्नूकर	2	1	3
6	शरीर सौष्ठव	1	0	1
7	मुक्केबाजी	3	3	6
8	शतरंज	1	1	2
9	क्रिकेट	4	0	4
10	साइक्लिंग	2	1	3
11	फुटबॉल	6	0	6
12	गोल्फ	1	1	2
13	जिम्नास्टिक	1	2	3
14	हॉकी	7	5	12
15	जूडो	1	1	2
16	कबड्डी	5	4	9
17	कराटे	1	1	2
18	पैरा खेल (पैरालंपिक एवं पैरा एशियाई खेलों में शामिल खेल विधाओं के लिए)	3	3	6



19	निशानेबाजी	1	1	2
20	स्कैश	1	0	1
21	तैराकी	1	2	3
22	टेबल टेनिस	2	2	4
23	टेनिस	2	2	4
24	ट्रायथलॉन	1	0	1
25	वॉलीबॉल	4	3	7
26	भारोत्तोलन	2	2	4
27	रेसलिंग	3	2	5
	कुल	67	52	119

टिप्पणी: रिक्तियों की अनंतिम प्रकृति एवं पुनःआवंटन

पैरा 04 में खेलों/विधाओं के सामने दर्शाई गई रिक्तियाँ अनंतिम हैं और प्रशासनिक आवश्यकताओं, पात्र अभ्यर्थियों की उपलब्धता तथा अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर इनमें परिवर्तन हो सकता है। किसी विशेष खेल/विधा के सामने रिक्तियाँ दर्शाए जाने से किसी अभ्यर्थी को उस रिक्ति पर नियुक्ति का दावा करने का अधिकार नहीं मिलेगा और न ही यह आश्वासन होगा कि दर्शाई गई सभी रिक्तियाँ अनिवार्य रूप से भरी जाएंगी।

यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी विशेष खेल/विधा में पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, अथवा अनंतिम रूप से दर्शाई गई रिक्तियों से कम संख्या में उपलब्ध हों, तो खेल भर्ती समिति, प्रधान मुख्या आयकर आयुक्त से परामर्श कर, संगठन की समग्र आवश्यकताओं तथा पैरा 04 में उल्लिखित अन्य खेलों/विधाओं में पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, परिणामस्वरूप खाली रहने वाली रिक्तियों को ऐसे एक या अधिक खेलों/विधाओं में पुनःआवंटित कर सकता है।

ऐसा कोई भी पुनःआवंटन भर्ती के लिए उपलब्ध कुल रिक्तियों की संख्या के भीतर किया जाएगा और इसे अतिरिक्त रिक्तियों का सृजन नहीं माना जाएगा। उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर सक्षम प्राधिकारी किसी रिक्ति को न भरने का निर्णय भी ले सकता है।

अभ्यर्थियों पर नियुक्ति के लिए केवल इस अधिसूचना की पात्रता शर्तों, खेल उपलब्धि मानदंडों, योग्यता, उपयुक्तता और अन्य प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने या किसी विशेष खेल/विधा के लिए आवेदन जमा करने मात्र से नियुक्ति अथवा उस खेल/विधा के लिए दर्शाई गई रिक्ति भरे जाने का कोई निहित या प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

रिक्तियों में परिवर्तन, पुनःआवंटन या उन्हें न भरने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय प्रशासनिक आवश्यकताओं तथा अभ्यर्थियों की उपलब्धता एवं उपयुक्तता पर आधारित होगा और लागू सरकारी नियमों/निर्देशों तथा प्रचलित कानून के अधीन अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।



05. खेल प्रतियोगिताओं/खेलों में योग्यता के समर्थन में साक्ष्य:

आवेदक की पात्रता पर विचार करते समय, ऊपर उल्लिखित खेल प्रतियोगिताओं/खेलों में भागीदारी के साक्ष्य के रूप में केवल नीचे उल्लिखित प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र स्वीकार किए जाएंगे। जो अभ्यर्थी इस अधिसूचना के अनुलग्नक-II में निर्धारित प्रारूप तथा नीचे दी गई सूची के कॉलम 4 में उल्लिखित संबंधित प्रपत्र में, प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए कॉलम 3 में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी से, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.03.2024 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं करेंगे, वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

क्रम सं.	प्रतियोगिता	खिलाड़ियों की भर्ती हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी	प्रमाण-पत्र जारी करने का प्रपत्र
1	अंतरराष्ट्रीय	संबंधित खेल के राष्ट्रीय महासंघ के सचिव।	1
2	राष्ट्रीय	संबंधित खेल के राष्ट्रीय महासंघ के सचिव अथवा राज्य संघ के सचिव।	2
3	अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता	संबंधित विश्वविद्यालय के खेल अधिष्ठाता अथवा खेलों के समग्र प्रभारी अन्य अधिकारी।	3
4	विद्यालयों की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता	राज्य के लोक निर्देश/शिक्षा निदेशालय में विद्यालयी खेलों के समग्र प्रभारी अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक अथवा उपनिदेशक।	4
5	खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल/खेलो इंडिया युवा खेल/खेलो इंडिया शीतकालीन खेल/खेलो इंडिया पैरा खेल	खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल/खेलो इंडिया युवा खेल/खेलो इंडिया शीतकालीन खेल/खेलो इंडिया पैरा खेलों के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) द्वारा नामित अधिकारी/प्रभारी अधिकारी।	5

06. अभ्यर्थियों का चयन:

(i) आवेदन किए गए पदों की पात्रता शर्तें पूरी करने के अधीन, आवेदनों की जांच की जाएगी और आगे की चयन प्रक्रिया के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया जाएगा।

(ii) नियुक्ति के लिए चयन अधिसूचना में निर्धारित तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की खेल उपलब्धियों, खेल प्रदर्शन की निरंतरता, आयु और शैक्षणिक योग्यता का आकलन करके किया जाएगा।

(iii) युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्राधिकारियों के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित खेल उपलब्धियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

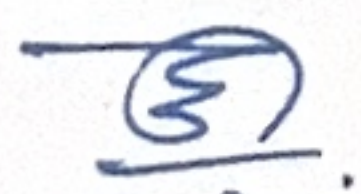
(iv) अनंतिम योग्यता सूची केवल ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर दी गई जानकारी के आधार पर तैयार की जाएगी। ऑफलाइन माध्यम से कोई अतिरिक्त जानकारी स्वीकार नहीं की जाएगी। यह सूची पात्रता के समर्थन में मूल दस्तावेजों के सत्यापन और प्रस्तुत किए जाने के अधीन होगी।

(v) अभ्यर्थी पर उन संवर्गों/पदों के लिए विचार नहीं किया जाएगा जिनका विकल्प उसने नहीं चुना है।

चयन हेतु सूचीबद्ध किए जाने और नियुक्ति आदेश जारी किए जाने से नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, जब तक कि अभ्यर्थी द्वारा संबंधित पद की पात्रता के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, विभाग आवश्यक समझी जाने वाली जांच से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी हर दृष्टि से उस पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त है। यदि शेष सूचीबद्ध खेलों/विधाओं में या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अधिसूचित खेलों में अधिक योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध हों, तो विभाग किसी विशेष खेल/विधा पर विचार न करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ये खेल कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुलग्नक-A वाले कार्यालय ज्ञापन सं. 14015/1/76-Estt. (D), दिनांक 4 अगस्त 1980 के पैरा 1; कार्यालय ज्ञापन सं. 14034/4/85-Estt. (D), दिनांक 18 सितंबर 1985; कार्यालय ज्ञापन सं. 14034/1/91-Estt. (D), दिनांक 21 मार्च 1991 के परिशिष्ट; कार्यालय ज्ञापन सं. 14034/1/2009-Estt (D), दिनांक 24 नवंबर 2009 के पैरा 3; तथा कार्यालय ज्ञापन सं. 14034/01/2013-Estt. (D), दिनांक 3 अक्टूबर 2013 और दिनांक 01.09.2020, 29.01.2021 एवं 17.06.2022 के अनुसार अधिसूचित हैं।

07. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश:

- (i) अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि वे पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हैं। आवेदन किए गए पद के लिए दिनांक 31.08.2026 तक मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता तथा दिनांक 15.10.2026 तक मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान/महासंघ/संघ से खेल योग्यता होना आवश्यक है। इस अधिसूचना में विज्ञापित पदों की चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर शामिल किया जाएगा। यदि भर्ती के किसी भी चरण में या उसके बाद यह पाया जाता है कि आवेदन में दी गई कोई जानकारी झूठी/गलत है, अभ्यर्थी ने कोई प्रासंगिक जानकारी छिपाई है अथवा वह पद की पात्रता शर्तें पूरी नहीं करता, तो बिना किसी सूचना के उसकी अभ्यर्थिता तत्काल रद्द कर दी जाएगी।
- (ii) अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी आवेदन न करें। यदि अभ्यर्थी निर्धारित मानदंड पूरे नहीं करते हैं तो आयकर विभाग, दिल्ली भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उनका आवेदन अस्वीकार कर सकता है। नियुक्ति होने पर भी ऐसे अभ्यर्थियों की सेवाएँ तत्काल समाप्त की जा सकती हैं।



- (iii) अभ्यर्थी एक ही आवेदन में एक या अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकता है। प्रत्येक अभ्यर्थी केवल एक आवेदन प्रस्तुत करे। एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी के सभी आवेदन तुरंत अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
- (iv) आवेदक आवेदन-पत्र में उन पदों की वरीयता स्पष्ट रूप से दर्शाए जिनके लिए वह आवेदन कर रहा/रही है।
- (v) जिन पदों के लिए आवेदन किया जा रहा है, उनका उल्लेख न करने पर बिना किसी अतिरिक्त पत्राचार के आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
- (vi) जिन अभ्यर्थियों को किसी परीक्षा से आजीवन प्रतिबंधित किया गया है या जिन्हें किसी निश्चित अवधि के लिए प्रतिबंधित किया गया है और वह अवधि अभी पूरी नहीं हुई है, वे इस रोजगार सूचना के प्रत्युत्तर में आवेदन न करें। पता चलने पर भर्ती के किसी भी चरण में उनकी अभ्यर्थिता अस्वीकार कर दी जाएगी। नियुक्ति होने पर भी ऐसे अभ्यर्थियों की सेवाएँ तत्काल समाप्त की जा सकती हैं।
- (vii) आयकर विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से अभ्यर्थी चयन के लिए पात्र नहीं हो जाता। चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सभी चरणों में अनंतिम रहेगी।
- (viii) खुली विज्ञप्ति कोटे के अंतर्गत सभी भर्तियाँ वेतन मैट्रिक्स में वेतन के न्यूनतम स्तर पर होंगी। आयकर विभाग, दिल्ली पात्र अभ्यर्थियों की भर्ती का अधिकार सुरक्षित रखता है। पात्रता, स्थान, तिथि, चयन का तरीका, स्वीकृति या अस्वीकृति, पद की संस्तुति, नियुक्ति के बाद पदस्थापन स्थान एवं नियुक्ति के ग्रेड आदि सभी मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अभ्यर्थियों पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। संबंधित खेलों की आवश्यकता और मानदंड पूरे करने वाले उपयुक्त अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर आयकर विभाग, दिल्ली किसी व्यक्तिगत/टीम खेल के लिए चयनित किए जाने वाले खिलाड़ियों की संख्या तय करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (ix) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। तथापि, आयु में छूट का दावा करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वप्रमाणित जाति प्रमाण-पत्र की प्रति अपलोड करनी होगी; ऐसा न करने पर आयु में छूट अनुमन्य नहीं होगी।
- (x) दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होने पर कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता/आवास सुविधा नहीं दी जाएगी।
- (xi) आयकर विभाग, दिल्ली द्वारा चयन से अभ्यर्थी को विभाग में नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (xii) लागू नियमों के अनुसार रोजगार सूचना के नियमों और शर्तों में किए जाने वाले बाद के परिवर्तन प्रभावी होंगे। आयकर विभाग, दिल्ली इस रोजगार सूचना के अंतर्गत भर्ती के नियमों एवं शर्तों में लागू होने पर बाद में कोई भी परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन करने या उन्हें रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (xiii) नियुक्ति के लिए सभी प्रशंसापत्रों और प्रमाण-पत्रों का सत्यापन अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय पात्रता शर्तों के समर्थन में सभी मूल



- दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे; ऐसा न करने पर चयन के बाद भी उनकी अभ्यर्थिता अस्वीकार कर दी जाएगी।
- (xiv) पात्रता, आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति, गलत जानकारी के लिए की गई कार्रवाई, चयन का तरीका, दस्तावेज़ सत्यापन का संचालन, सत्यापन स्थल का आवंटन, चयन तथा चयनित अभ्यर्थियों को पद आवंटित करने आदि सभी मामलों में आयकर विभाग, दिल्ली का निर्णय अभ्यर्थियों पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
 - (xv) इस रोजगार से संबंधित किसी भी कानूनी मामले का क्षेत्राधिकार केवल केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), दिल्ली का होगा।
 - (xvi) किसी अनजाने त्रुटि के लिए आयकर विभाग, दिल्ली उत्तरदायी नहीं होगा।
 - (xvii) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति केवल दिल्ली क्षेत्र में की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी 2 वर्ष या भारत सरकार के वर्तमान निर्देशों के अनुसार निर्धारित अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे। विभाग की ओर से टूर्नामेंट/प्रतियोगिताओं में उनकी भागीदारी भी परिवीक्षा घोषित करने में निर्णायक होगी। चयनित अभ्यर्थी को कम से कम 10 वर्ष तक आयकर विभाग, दिल्ली क्षेत्र की ओर से टूर्नामेंट/प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करना होगा। चयनित अभ्यर्थियों को कम से कम 10 वर्ष तक अंतर-प्रभार स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के लिए आवेदन न करने का वचन-पत्र देना होगा।
 - (xviii) खेल गतिविधियों में भागीदारी और अवकाश प्रबंधन आदि के संबंध में चयनित अभ्यर्थियों की सेवाएँ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापनों तथा इस संबंध में जारी आगे के कार्यालय ज्ञापनों में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन होंगी।
 - (xix) अभ्यर्थी को विश्व डोपिंग-रोधी एजेंसी (WADA) /राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी एजेंसी (NADA) अथवा किसी अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा कराई गई सभी डोपिंग जांचों में दोषमुक्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, किसी खेल प्रतियोगिता में डोपिंग अथवा अनुचित साधनों से प्रतिस्पर्धा करने या जीतने के संबंध में अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई जांच लंबित नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी को इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
 - (xx) किसी भी अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार का पक्ष-प्रचार किए जाने पर भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उसकी अभ्यर्थिता तत्काल अस्वीकार की जा सकती है। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली को बिना कोई कारण बताए भर्ती प्रक्रिया किसी भी चरण में रद्द करने का अधिकार है।
 - (xxi) पूर्ण रूप से भरा हुआ ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 23:59 बजे तक जमा किया जा सकता है। आयकर विभाग, दिल्ली कोई भौतिक आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।
 - (xxii) आगे की सूचनाओं/अपडेट के लिए अभ्यर्थियों को आयकर विभाग, दिल्ली क्षेत्र की वेबसाइट www.incometaxdelhi.gov.in नियमित रूप से देखने की सलाह दी जाती है।
 - (xxiii) चयन प्रक्रिया के दौरान कॉल लेटर सहित आवेदकों से प्राथमिक पत्राचार केवल ई-मेल के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में delhi.recruitment.sports@incometax.gov.in ई-मेल आईडी से पत्राचार किया जाएगा। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को केवल ई-मेल से सूचित किया जाएगा।
 - (xxiv) समान अंक होने की स्थिति में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली का निर्णय अंतिम होगा।



08. आवेदन कैसे करें:

- सभी इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी निर्धारित समय-सीमा के भीतर आयकर विभाग, दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxdelhi.gov.in पर उपलब्ध 'Sports Recruitment' टैब पर क्लिक कर केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करें।
- आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी पात्रता शर्तों वाली अधिसूचना ध्यानपूर्वक पढ़ें और स्वयं सुनिश्चित करें कि जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसकी सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हैं। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय सही विवरण देने में अत्यंत सावधानी बरतें। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर उपलब्ध "अभ्यर्थियों के लिए निर्देश" ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है।
- ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी Preview/Print विकल्प से प्रत्येक फ़ील्ड में भरे गए विवरणों की शुद्धता जांच लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 10.11.2026 रात्रि 23.59 बजे तक है।

09. अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़:

- (i) जन्मतिथि के प्रमाण के लिए प्रमाण-पत्र की स्कैन की हुई प्रति (मानक 10वीं/मैट्रिक प्रमाण-पत्र/समकक्ष शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/जन्मतिथि दर्शाने वाला शैक्षणिक प्रमाण-पत्र)।
- (ii) आधार कार्ड की स्कैन की हुई प्रति।
- (iii) पैरा 2 में निर्धारित अनिवार्य न्यूनतम योग्यता की अंकतालिका/प्रमाण-पत्र या समकक्ष की स्कैन की हुई प्रति।
- (iv) संबंधित महासंघों/संघों/बोर्डों द्वारा जारी खेल उपलब्धियों के प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ।
- (v) केंद्र सरकार की सेवाओं में भर्ती के लिए निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समुदाय प्रमाण-पत्र की प्रति, यदि छूट का लाभ लेने हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो।
- (vi) यदि अभ्यर्थी किसी केंद्रीय सरकार विभाग, राज्य सरकार विभाग, स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU), अर्ध-सरकारी संगठन अथवा किसी अन्य सरकारी/अर्ध-सरकारी संस्थान में कार्यरत है, तो नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) की प्रति।

छूट का लाभ मांगने वाले अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि वे अधिसूचना में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसी छूट के हकदार हैं। उनके पास 31.08.2026 तक अपने दावे के समर्थन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी मूल प्रमाण-पत्र भी होने चाहिए। जाति प्रमाण-पत्र अनुलग्नक-III में दिए गए प्रारूपों में अपलोड किए जाएँ। अभ्यर्थियों को संलग्न प्रपत्रों के अनुसार ही प्रमाण-पत्र प्रस्तुत/अपलोड करने होंगे। किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन तुरंत अस्वीकार कर दिए जाएंगे।



10. अमान्य आवेदन/अस्वीकृति:

I. कोई व्यक्ति -

(a) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो जिसका पति/पत्नी जीवित है; अथवा

(b) जिसका पति/पत्नी जीवित हो और जिसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, इस अधिसूचना के अंतर्गत नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु, केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को इन प्रावधानों के लागू होने से छूट दे सकती है, यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार भी मौजूद हैं।

II. अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले सभी निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ लें, अन्यथा निम्नलिखित में से एक या अधिक कारणों से उनका आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:

- i. आवेदन पर हस्ताक्षर न होना, हस्ताक्षर बड़े अक्षरों में होना या अक्षरों के बीच अनावश्यक रिक्त स्थान होना।
- ii. रंगीन फोटो न होना, अथवा टोपी/चश्मा पहने हुए, विकृत, छोटे आकार की, पहचान में न आने वाली या छायाप्रति वाली फोटो होना।
- iii. रंगीन फोटो न होना, अथवा टोपी/चश्मा पहने हुए, विकृत, छोटे आकार की, पहचान में न आने वाली या छायाप्रति वाली फोटो होना।
- iv. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता या पद(पदों) के लिए अपेक्षित खेल उपलब्धियाँ न होना; अथवा इस अधिसूचना के पैरा 5 में उल्लिखित खेल उपलब्धि प्रमाण-पत्र सहित दस्तावेज़ निर्धारित प्रारूप में न देना, जैसा कि इस अधिसूचना की निर्णायक तिथि पर अपेक्षित है।
- v. आयु सीमा से अधिक या कम आयु होना अथवा जन्मतिथि न भरना/गलत भरना।
- vi. किसी अन्य आयोग/बोर्ड की प्रतिबंधित सूची में अभ्यर्थी का नाम होना।
- vii. डोपिंग आरोपों में दोषी होना।
- viii. कोई अन्य अनियमितता।

III. व्याख्या के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।

11. सहायता केंद्र:

ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा करने में कठिनाई का सामना कर रहे अभ्यर्थी अपने प्रश्न ई-मेल द्वारा delhi.helpdesk.sports@incometax.gov.in पर भेजें।

3421

आयकर उपायुक्त
(मुख्यालय-कार्मिक) (अराजपत्रित)
नई दिल्ली

प्रपत्र-1

(मान्यता प्राप्त खेलों/खेल-कूद में से किसी एक की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए।)

_____ का राष्ट्रीय महासंघ/राष्ट्रीय संघ

केंद्र सरकार के अधीन समूह "ग" एवं "घ" सेवा में नियोजन हेतु मेधावी खिलाड़ी के लिए प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____, श्री
_____ के पुत्र/पत्नी/पुत्री, निवासी
_____ (पूरा पता) ने _____ में
आयोजित _____ प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में _____ खेल/स्पर्धा में देश का
प्रतिनिधित्व किया। यह प्रतियोगिता/टूर्नामेंट _____ में दिनांक _____ से
_____ तक आयोजित हुई।

उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/टीम द्वारा प्राप्त स्थान _____ था।

यह प्रमाण-पत्र _____ राज्य संघ के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जारी किया जा रहा है।

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पदनाम _____

महासंघ/राष्ट्रीय संघ का नाम

स्थान _____

पता _____

दिनांक _____

मुहर _____

टिप्पणी: यह प्रमाण-पत्र तभी मान्य होगा जब इस पर राष्ट्रीय महासंघ/राष्ट्रीय संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए गए हों।

प्रपत्र-2

(मान्यता प्राप्त खेलों/खेल-कूद में से किसी एक की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए।)

_____ राज्य का _____ खेल संघ

केंद्र सरकार के अधीन समूह "ग" एवं "घ" सेवा में नियोजन हेतु मेधावी खिलाड़ी के लिए प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____, श्री
_____ के पुत्र/पत्नी/पुत्री, निवासी
_____ (पूरा पता) ने _____ राज्य का
प्रतिनिधित्व करते हुए _____ खेल/स्पर्धा में भाग लिया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता/टूर्नामेंट
_____ में दिनांक _____ से _____ तक आयोजित हुआ।

उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/टीम द्वारा प्राप्त स्थान _____ था।

यह प्रमाण-पत्र _____ राज्य संघ के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जारी किया जा रहा है।

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पदनाम _____

राज्य संघ का नाम

स्थान _____

पता _____

दिनांक _____

मुहर _____

टिप्पणी: यह प्रमाण-पत्र तभी मान्य होगा जब इस पर राज्य संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए गए हों।

प्रपत्र-3

(मान्यता प्राप्त खेलों/खेल-कूद में से किसी एक की अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में किसी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।)

_____ विश्वविद्यालय

केंद्र सरकार के अधीन समूह "ग" एवं "घ" सेवा में नियोजन हेतु मेधावी खिलाड़ी के लिए प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____, श्री
_____ के पुत्र/पत्नी/पुत्री, निवासी _____
_____ के विद्यार्थी, ने _____ विश्वविद्यालय का
प्रतिनिधित्व करते हुए _____ खेल/स्पर्धा में भाग लिया। अंतर-विश्वविद्यालय
प्रतियोगिता/टूर्नामेंट _____ में दिनांक _____ से _____ तक आयोजित
हुआ।

उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/टीम द्वारा प्राप्त स्थान _____ था।

यह प्रमाण-पत्र _____ विश्वविद्यालय के खेल अधिष्ठाता अथवा खेलों के समग्र प्रभारी
अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जारी किया जा रहा है।

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पदनाम _____

विश्वविद्यालय का नाम:

स्थान _____

पता _____

दिनांक _____

मुहर _____

टिप्पणी: यह प्रमाण-पत्र तभी मान्य होगा जब इस पर _____ विश्वविद्यालय के खेल
अधिष्ठाता/निदेशक अथवा खेलों के समग्र प्रभारी अन्य अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए
गए हों।

प्रपत्र-4

_____ राज्य का लोक निर्देश/शिक्षा निदेशालय

केंद्र सरकार के अधीन समूह "ग" एवं "घ" सेवाओं में नियोजन हेतु मेधावी खिलाड़ी के लिए प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी _____, श्री
 _____ के पुत्र/पुत्री, निवासी
 _____ (पूरा पता),
 _____ के विद्यार्थी, ने _____ राज्य की विद्यालय टीम का
 प्रतिनिधित्व करते हुए _____ खेल/स्पर्धा में भाग लिया। विद्यालयों के लिए
 राष्ट्रीय खेल _____ में दिनांक _____ से _____ तक आयोजित हुए।

उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/टीम द्वारा प्राप्त स्थान _____ था।

यह प्रमाण-पत्र _____ के लोक निर्देश/शिक्षा निदेशालय के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जारी किया जा रहा है।

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पदनाम _____

स्थान _____

पता _____

दिनांक _____

मुहर _____

टिप्पणी: यह प्रमाण-पत्र तभी मान्य होगा जब इस पर राज्य के लोक निर्देश/शिक्षा निदेशालय में खेल/विद्यालय खेलों के समग्र प्रभारी निदेशक अथवा अपर/संयुक्त/उप निदेशक द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए गए हों।

प्रपत्र-5

(खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स/खेलो इंडिया यूथ गेम्स/खेलो इंडिया विंटर गेम्स/खेलो इंडिया पैरा गेम्स में प्रतिनिधित्व के लिए।)

केंद्र सरकार के अधीन समूह "ग" सेवा में नियोजन हेतु मेधावी खिलाड़ी के लिए प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____, श्री
_____ के पुत्र/पत्नी/पुत्री, निवासी _____,
_____ के विद्यार्थी, ने _____
विश्वविद्यालय/संस्थान/विद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए _____ खेल/स्पर्धा
में भाग लिया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स/खेलो इंडिया यूथ गेम्स/खेलो इंडिया विंटर गेम्स/खेलो इंडिया
पैरा गेम्स _____ में दिनांक _____ से _____ तक आयोजित हुए।

उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/टीम द्वारा प्राप्त स्थान _____ था।

यह प्रमाण-पत्र इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जारी किया जा रहा है।

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पदनाम _____

स्थान _____

पता _____

दिनांक _____

मुहर _____

टिप्पणी: यह प्रमाण-पत्र तभी मान्य होगा जब इस पर भारतीय खेल प्राधिकरण के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स/खेलो इंडिया यूथ गेम्स/खेलो इंडिया विंटर गेम्स/खेलो इंडिया पैरा गेम्स के लिए नामित अधिकारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए गए हों।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करने वाले अभ्यर्थी को अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रारूप में प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। यह प्रमाण-पत्र उस जिले के जिला अधिकारी, उप-मंडल अधिकारी अथवा नीचे उल्लिखित किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए, जहाँ उसके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतः निवास करते हैं और जिसे संबंधित राज्य सरकार ने ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नामित किया है। यदि अभ्यर्थी के माता-पिता दोनों का निधन हो चुका हो, तो प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जहाँ अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के प्रयोजन से भिन्न कारणों से सामान्यतः निवास करता है। जहाँ प्रमाण-पत्र में फोटो अभिन्न रूप से शामिल हो, वहाँ आयोग केवल ऐसे प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति स्वीकार करेगा, कोई अन्य सत्यापित या सही प्रति नहीं।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* _____, पुत्र/पुत्री
_____, ग्राम/कस्बा* _____, जिला/मंडल*
_____, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* _____ के निवासी हैं।

वे _____ जाति/जनजाति से संबंधित हैं, जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 _____

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 _____

संविधान (अनुसूचित जाति) केंद्र शासित प्रदेश आदेश, 1951* _____

संविधान (अनुसूचित जनजाति) केंद्र शासित प्रदेश आदेश, 1951* _____

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूचियाँ (संशोधन) आदेश, 1956; बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970; उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित।

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 _____

संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, यथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम), 1976 द्वारा संशोधित*।

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962।

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@।

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@।

संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@।

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@।

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@।

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@।

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@।

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@।

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@।

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@।

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991@।

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@।

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996@।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@।

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@।

संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@।

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007@।

2. यह अनुच्छेद उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में लागू है जिन्होंने एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में प्रवास किया है।

यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती _____ (श्री/श्रीमती/कुमारी*
_____ के पिता/माता) को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया जाता है। उक्त प्रमाण-पत्र ग्राम/कस्बा* _____,
जिला/मंडल* _____, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* _____ के
निवासी _____ जाति/जनजाति से संबंधित अभिभावक को जारी किया गया
था। इस जाति/जनजाति को _____ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* में अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रमाण-पत्र _____
द्वारा दिनांक _____ को जारी किया गया था।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी स्वयं तथा/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा*
_____, जिला/मंडल* _____, राज्य/केंद्र
शासित प्रदेश _____ में निवास करता है।

स्थान _____

हस्ताक्षर _____

दिनांक _____

** पदनाम _____

(कार्यालय की मुहर सहित)

* जो शब्द लागू न हों, उन्हें काट दें।

@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश का उल्लेख करें।

% जो अनुच्छेद लागू न हो, उसे हटा दें।

टिप्पणी: यहाँ प्रयुक्त "सामान्यतः निवास करता/करते हैं" पद का वही अर्थ होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया गया है।

** जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी:

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) तहसीलदार से नीचे के पद का न हो ऐसा राजस्व अधिकारी।

(iv) उस क्षेत्र के उप-मंडल अधिकारी जहाँ अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।

टिप्पणी: तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी जाति प्रमाण-पत्र केवल राजस्व मंडल अधिकारी से प्राप्त प्रमाण-पत्र ही प्रस्तुत करें।

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के
अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____, पुत्र/पुत्री
_____, ग्राम/कस्बा _____, जिला/मंडल
_____, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश _____ के
निवासी हैं।

वे _____ समुदाय से संबंधित हैं, जिसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और
अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या _____ दिनांक _____ * के
अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। श्री/श्रीमती/कुमारी _____
तथा/या उनका परिवार _____ जिला/मंडल, _____ राज्य/केंद्र
शासित प्रदेश में सामान्यतः निवास करता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक एवं प्रशिक्षण
विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-Estt.(SCT), दिनांक 8.9.1993** की
अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

जिला मजिस्ट्रेट: _____

उपायुक्त आदि: _____

दिनांक:

मुहर:

* प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का विवरण देना पड़ सकता
है जिसमें अभ्यर्थी की जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लिखित किया गया है।

** समय-समय पर यथा संशोधित।

टिप्पणी: यहाँ प्रयुक्त "सामान्यतः" शब्द का वही अर्थ होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की
धारा 20 में दिया गया है।